रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 1985/फाल्गुन 28, 1906
No 69] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 1985/PHALGUNA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना स 92—आई टी सी (पी एन)/ 84—85

नई दिल्ली 19 मार्च, 1985

विषय — अप्रैल 1984—मार्च 1985 के लिये आयात-निर्यात नीति।

फा स आई पी सी/3/33/79 —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना स 18—आई टी सी (पी एन)/ 84 दिनांक 12 अप्रैल 1984 के अधीन प्रकाशित अप्रैल 1984—मार्च 1985 (खंड—1) के लिये यथा संशोधित आयात— निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किये गये समझे जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात—निर्यात नीति 1984-85 (खंड-1) की पृष्ट सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	22	अध्याय-11 उप-पैरा 77(5)	उप—पैरा 77(5) के अन्त में "लि०" शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "एवं भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड"।
(2)	22	अध्याय-11 उप-पैरा 77(6)	उप-पैरा 77(6) के अन्त में "लि०" शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "एंव भारतीय गैस प्राधिकरण लि०"।
(3)	22	अध्याय-11 उप-पैरा 77(7) तीसरी पंक्ति	"आयल इण्डिया लि०" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "या भारतीय गैस प्राधिकरण लि०"
(4)	157	परिशिष्ट 6 मद सं 10	पात्र निर्यातकों की श्रेणी में "भारत स्वर्ण खान लि०" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :— "भारतीय गैस प्राधिकरण लि."।

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY

(Deptt. of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO.—92—ITC (PN)/84-85

New Delhi, the 19th March, 1985

Subject : Import and Export Policy for April 1984—March 1985.

F. No. IPC/3/33/79.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984—March 1985 (Vol. I), published under theMinistry of Commerce Public Notice No. 18—ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
(1)	22	Chapter 11 Sub-para 77(5)	At the end of Sub-para 77(5) after the word "Ltd.", the following shall be added:— "and Gas Authority of India Ltd."
(2)	22	Chapter 11 Sub-para 77(6)	At the end of Sub-para 77(6), after the word "Ltd.", the following shall be added:— "and Gas Authority of India Ltd."
(3)	22	Chapter 11 Sub-para 77 (7) Third Line	After the words "Oil India Ltd.' the following shall be added:— "or Gas Authority of India Ltd."
(4)	157	Appendix 6 Item No. 10	In the category of eligible importers, after the words "Bharat Gold Mines Ltd.," the following shall be added:- "Gas Authority of India Ltd.,"

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985